राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313 001
दूरभाष / Phones: 2415091.95, फेक्स /Fax: 0294 . 2410 526
(E-mail: sme.minor@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः निदे / प.2 / कास / नियम / 2017 / 2214–19 दिनांक 27.10.2017

समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत्त / सतर्कता,
समस्त खनि अभियन्ता खण्ड / सतर्कता
समस्त सहायक खनि अभियन्ता उखण्ड / सतर्कता

विषयः– खनिज निर्गमन हेतु ई–रवन्ना जारी करने बाबत ।
प्रसंगः– शासन का पत्र कमांक प.14(1)खान / ग्रुप–2 / 2011 जयपुर दिनांक 27.10.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 27.10.2017 के द्वारा दिनांक 31.10.2017 के पश्चात बजरी के एलओआई एवं जिप्सम के परमिट क्षेत्रों से खनिज निर्गमन के अतिरिक्त अन्य सभी निर्गमन पर मेन्युअल रवन्ना जारी करना पूर्णतया निषेध किया गया है। उक्त तिथि के पश्चात खनिज का निर्गमन ई–रवन्ना से ही होगा एवं कोई भी खनन पट्टाधारी भौतिक रूप से जारी कराये गये रवन्ना से खनिज का निर्गमन नही कर सकेगा । दिनांक 31.10.2017 को पट्टेधारियों के पास शेष रही मेन्युअल रवन्ना संबंधित कार्यालय में जमा कराई जाना सुनिश्चित की जावें । खनिज बजरी के एलओआई एवं जिप्सम के परमिट के प्रकरणों में मेन्युअल रवन्ना दिनांक 15.11.2017 तक ही मान्य होगे ।

उपरोक्त निर्देशों की पालना के लिये क्षेत्र में वाहनों एवं तुलायंत्रों का सघन चैकिंग / निरीक्षण किये जाकर यह सुनिश्चित करे, कि सभी खनन पट्टों से ई–रवन्ना से ही खनिज का निर्गमन हो तथा खनन पट्टों से जारी अनकन्फर्म रवन्नाऐ एमपेनल तुलायन्त्रों पर कन्फर्म हो । किसी प्रकार की रॉयल्टी का अपवंचन न हो पाये । शासन के प्रासंगिक निर्देश के विपरित भौतिक रूप से जारी रवन्नाओं से खनिज का निर्गमन पाया जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेंगी।

27-10-17
(डी.एस.मारू)
निदेशक

क्रमांकः निदे / प.2 / कास / नियम / 2017 / 2220 – 25 दिनांक 27.10.2017

प्रतिलिपि निम्न को क्षेत्र का निरीक्षण कर पालना सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन / सतर्कता / पर्यावरण एवं विकास ।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) / वित्तीय सलाहकार ।

27-10-17
(डी.एस.मारू)